

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 2nd FEBRUARY, 1996

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 2nd February, 1996

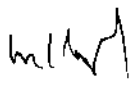
NOTIFICATION

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee, hereby approves the companies specified in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the Table below and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC.

TABLE

Serial Number	Name of the Company	Project or Scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jindal Aluminium Limited, Jindal Nagar, Tumkur Road, Bangalore-560073.	Construction of school building at Nagarbhavi; likely to cost Rs.15.00 lakhs.	15.00 lakhs.

2. This notification shall remain in force for a period three years in relation to assessment years 1996-97, 1997-98 and 1998-99.


(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 9961
F.No. NC-182/95

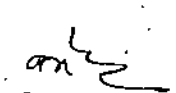
भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3, उपखंड 1.1 में प्रकाशनार्थ
दिनांक 2 फरवरी 1996.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी, 1996.
अधिसूचना

सां0आ0 §अ§-केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 §1961 का 43§ की धारा 33 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड §ख§ के साथ पठित उप धारा §1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ §2§ में विनिर्दिष्ट कम्पनियों का अनुमोदन करती है और नीचे की सारिणी के स्तंभ §3§ में यथा उल्लिखित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों और उनकी प्राक्कलित लागत को विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारिणी के स्तंभ §4§ में ऐसी लागत की उस अधिकतम राशि को भी जो उक्त धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी विनिर्दिष्ट करती है ।

क्र0सं0 कम्पनी का नाम	सारिणी परियोजना या स्कीम और उनकी प्राक्कलित लागत	धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.
1.	जिन्दल एल्यूमिनियम लि0 नगरभावी में स्कूल जिन्दल नगर, तुमकुर रोड, भवन का निर्माण बंगलूर-560073. अनुमानित लागत 15.00लाख रु0	15 लाख रु0
2.	यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों के लिए प्रवृत्त होगी ।	


§वी0के0 सहगल§
उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 9961
फा0स0सन0सी0 182/95